न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना आई.ए.एस.

अपील संख्याः 70/2017 एल.आर. एक्ट

1. करतार सिह पुत्र जीवन जाति बावरी निवासीगण 54 एन पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जीतसिह पुत्र जीवन जाति बावरी निवासीगण 54 एन पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. दर्शन सिह पुत्र जीवन जाति बावरी निवासीगण 54 एन पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. नंद कौर पुत्री जीवन पत्नी संतराम जाति बावरी निवासीगण 54 एन पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. भजन कौर पुत्री जीवन पत्नी तारासिह जाति बावरी निवासीगण 54 एन. पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. पाल सिह पुत्र जीवन जाति बावरी निवासी 54 एन.पी तहसील रायसिह नगर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलदेव सिह पुत्र मोहनसिह जाति बावरी निवासी 54 एन.पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरदेव सिह पुत्र मोहनसिह जाति बावरी निवासी 54 एन.पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. मुख्तयारसिह पुत्रिया मोहनसिह जाति बावरी निवासीगण 54 एन. पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. माया देवी पुत्रिया मोहनसिह जाति बावरी निवासीगण 54 एन. पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. नानकी देवी पुत्रिया मोहनसिह जाति बावरी निवासीगण 54 एन. पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. सुगना देवी पुत्रिया मोहनसिह जाति बावरी निवासीगण 54 एन. पी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. सरपंच ग्राम पंचायत बगीया पंचायत समिति रायसिंह नगर श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री नायब सिह – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सुरज स्वामी – रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18–03–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 08–04–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता जीवन के नाम तहसील रायसिहनगर के चक 54 एन. पी में मुरब्बा नम्बर 13 पत्थर नम्बर 244/333 की 5.9480 हैक्टयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 26.08.2012 को हो चुकी है। जीवन की पत्नी जय कौर की भी मृत्यु लोवर कोर्ट में चल रही अपील के दौरान होने से उसे पक्षकार नही बनाया गया। जीवन की मृत्यु होने पर इन्तकाल संख्या 218 दिनाक 6.1.14 को ग्राम पंचायत बगीया तहसील रायसिहनगर द्वारा अपीलार्थीगण एव रेस्पोड़ेन्स के नाम विरासतन दर्ज किया गया और इन्तकाल संख्या 219 दिनांक 20.3.14 को दस्तबदारी होने से ग्राम पंचायत बगीया द्वारा दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट पालसिह द्वारा उक्त दोनो नामान्तरकरण के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक एन पी तहसील रायसिहनगर मे मु. न. 13 प. न. 244/333 के किला नं. 1 ता 25 मे कुल 5.948 हैक्टैयर नहरी भूमि जीवन पुत्र वरियाम के नाम खातेदारी थी। पिता ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी मे से किला नं. 1 ता 20 की 4.838 है0 नहरी भूमि उसे दान में दिनांक 5.7.12 को दी जाकर उप पंजीयक रायसिंहनगर से तस्दीक करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर ने रेस्पोडेन्ट पाल सिह की अपील आंशिक स्वीकार कर ग्राम पंचायत बगीचा पंचायत समिति रायसिहगनर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 6.1.14 व नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 20.3.14 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रायसिहनगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दान पत्र के सन्दर्भ मे जांच कर पुन नामान्तकरण तस्दीक करे। उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के आदेश दिनांक 8.4.17 के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कहा कि अपीलार्थीगण के पिता जीवन के नाम तहसील रायसिहनगर के चक 54 एन. पी में मुरब्बा नम्बर 13 पत्थर नम्बर 244/333 की 5.9480 हैक्टयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि थी। जिनकी मृत्यु दिनांक 26.08.2012 को हो चुकी है जीवन की पत्नी जय कौर की भी मृत्यु लोवर कोर्ट में चल रही अपील के दौरान होने से उसे पक्षकार नही बनाया गया। पालसिह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थीगण का भाई है। जीवन

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

की मृत्यु होने पर इन्तकाल संख्या 218 दिनाक 6.1.14 को ग्राम पंचायत बगीया द्वारा अपीलार्थीगण एव रेस्पोडेन्टस के नाम विरासतन दर्ज किया गया और इन्तकाल संख्या 219 दिनांक 20.3.14 को दस्त्बदारी होने से ग्राम पंचायत बगीया द्वारा दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट पालसिह ने उक्त दोनो इन्तकालो के विरूद्व एक ही अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की जबकि इन्तकाल नम्बर 218 एव 219 प्रत्येक इन्तकाल के आदेश के विरूद्व अलग अलग अपील पेश करनी जरूरी थी जेसा कि रेवेन्यु कोर्ट मैनुअल मे प्रावधान है। अपीलार्थीगण के पिता ने पाल सिह के पक्ष में कोई दान पत्र निष्पादित व पंजीबद्व नही करवाया था यह सारी साजिश पाल सिह ने अपने पिता को धोखे में रख कर करवाई गई है। दान पत्र को निरस्त कराने के लिए अपीलार्थीगण ने सिविल न्यायधीश रायसिहगनर के समक्ष वाद पेश कर रखा है, जिसमे अपने पक्ष में स्थगन आदेश लिया हुआ है। अपीलार्थीगण के पिता जीवन के मृत्यु दिनांक 26.8.12 को हुई और तथा दान पत्र दिनांक 5.7.12 को हुआ जिससे साफ है कि पालसिह ने दान पत्र अपने पिता को धोखे मे रखकर बनाया है। दान पत्र में नजदीकी रिश्तेदार की गवाही नही है। ढाई वर्ष बाद दान पत्र प्रस्तुत किया गया। पालसिह ने रजिस्टर्ड वसीयत अपनी पत्नी जय कौर व अन्य वारिसान के नाम दिनांक 11.12.2008 को करवाई वसीयत मे पालसिह को उक्त भूमि मे से 5 बीधा और उसके पुत्र दलविन्दर को भी 5 बीधा भूमि देने का अंकन है । पालसिह ने दानपत्र पूरी भूमि का न बनवा कर केवल 4.834 हैक्टयर का ही बनाया ताकि 5 बीधा भूमि वसीयत से उसके पुत्र को मिला जाये। वसीयत वर्ष 2008 मे हुई उसमे वसीयत कर्ता जीवन ने अपनी उम्र 90 वर्ष होनी अंकित है जबकि दान पत्र लिखा गया है, उसमे सब रजिस्ट्रार में उम्र 82 वर्ष अंकित है। दान पत्र वर्ष 2012 को लिखा गया बताया हे इससे भी दान पत्र कूटरचित जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार को निर्देश दिया कि दान पत्र के सन्दर्भ मे जांचकर पुन. नामान्तकरण तस्दीक करे जबकि दान पत्र को निरस्त करवाने का दावा संक्षम न्यायालय मे जैरकार है और तहसीलदार को किसी भी दस्तावेज को सही या गलत ठहराने का अधिकार नही है। यह अधिकार सिविल न्यायालय को है। अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेश की है तथा धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र अलग पेश किया गया है । अतः अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुवे अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे और विरास्तन इन्तकाल सख्या 218 व दस्तबदारी इन्तकाल संख्या 219 को कायम

समानीय आयुक्त
बीकानेर

रखा जाने का आदेश फरमाया जावें । अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2006 पृष्ठ 574 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि चक 54 एन पी तहसील रायसिहनगर के मु. न. 13 प. न. 244/333 के किला नं. 1 ता 25 मे कुल 5.948 हैक्टैयर नहरी भूमि जीवन पुत्र वरियाम के नाम खातेदारी थी। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जीवन ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी मे से किला नं. 1 ता 20 की 4.838 है0 नहरी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पालसिह को दिनांक 5.7.12 को दान दी जाकर उप पंजीयक रायसिंहनगर से तस्दीक करवाया था। पंजीबद्व दान पत्र कूटरचित नही हो सकता । दान पत्र के खिलाफ अपीलान्ट ने थाने में कोई मुकदमा दर्ज नही करवाया है। पंजीबद्व दान पत्र को सिविल न्यायालय से ही निरस्त करवाया जा सकता है। राजस्व न्यायालयो मे इसे सुनने का अधिकार नही हे। वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज इस पत्रावली पर उपलब्ध नही है अपीलान्ट की अपील मैन्टेनेबल नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.4.17 सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हैः–

   1. प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जाता हैः–

      यह अपील उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के निर्णय दिनांक 08.04.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 13.07.2017 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 09.07.2017 को हुई इस प्रकार अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

2. अपील में मुख्य विवाद दान पत्र करवाने के सबन्ध में है:–

अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट पालसिह आपस में सगे भाई है। उसके पिता जीवन ने रेस्पोडेन्ट पाल सिह के पक्ष में कोई दान पत्र नही करवाया था यह सारी साजिश पाल सिह ने अपने पिता को धोखे में रख कर करवाई गई है। उसके पिता जीवन की मृत्यु होने पर इन्तकाल संख्या 218 दिनाक 6.1.14 को ग्राम पंचायत बगीया द्वारा अपीलार्थीगण एव रेस्पोडेन्टस के नाम विरास्तन दर्ज किया गया था और इन्तकाल संख्या 219 दिनांक 20.3.14 को दस्त्बदारी होने से ग्राम पंचायत बगीया द्वारा दर्ज किया गया। जिसकी रेस्पोडेन्ट पालसिह ने उक्त दोनो इन्तकालो के विरूद्व एक ही अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की जबकि इन्तकाल नम्बर 218 एव 219 प्रत्येक इन्तकाल के आदेश के विरूद्व अलग अलग अपील पेश करनी चाहिये थी । दान पत्र को निरस्त कराने के लिए अपीलार्थीगण ने सिविल न्यायाधीश रायसिहनगर के समक्ष वाद पेश कर रखा है।

रेस्पोडेन्ट्स पालसिह का मुख्य कथन है कि उसके पिता जीवन ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी मे से किला नं. 1 ता 20 की 4.838 है0 नहरी भूमि दिनांक 5.7.12 को दान में दी थी तथा दान पत्र को उप पंजीयक रायसिंहनगर से तस्दीक करवाया था।

न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट्स एव रेस्पोडेन्ट पालसिह जीवन की संतान है, पालसिह ने दान पत्र के अनुसार उस विवादित भूमि पर अपना हक बताया है, परन्तु दान पत्र को शून्य धोषित करवाने के सबध में सिविल न्यायाधीश रायसिहनगर के संमक्ष वाद विचाराधीन है। जब न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति मे नामान्तरणकरण जेसी कार्यवाही रोक देनी चाहिए। क्योकि हको का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है तथा सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन एक ही आदेश से दो इन्तकाल अपास्त किया है जो नियमानुसार सही नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–04–2017 अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

08–04–2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रायसिहनगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि दान पत्र के सन्दर्भ मे सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे। तब तक उभय पक्ष इस विवादित भूमि को आगे रहन बैय अथवा हस्तान्तरण नही करेगे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18–03–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर